

न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु०न०..... 15/2016

स्टेट.....

बनाम ..... <sup>पुत्रे ११२१</sup> <sup>राजा २१०</sup> <sup>दस्ता</sup> } राजाजल लाल के खसरा

सा० ..... मु०थासर तह. रावतसर

निर्णय दिनांक ..... 15/2016

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी मु०थासर ने रिपोर्ट की है कि खसरा न० 169 रकबा ०:०३७ गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज परफसल खरीफ माल में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अतिक्रमी है। इस लिये उपनिवेशक अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान ..... 10 रूपये १९ रूपये मात्र कायम किया जाता हैं।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी०आर०ए० को लिखा जावे तथा भू-राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षेत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 23/3/16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप पंजीयक

पल्लू